निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आश्विन 1937 (श0)

(सं0 पटना 1104) पटना, वृहस्पतिवार, 1 अक्तूबर 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर 2015

सं0 22 नि0 सि0(मुज0)–06–03/2012/2211—श्री दिलीप कुमार (4471), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, बाल्मीकिनगर के पद पर पदस्थापित थे तो उनके विरूद्ध पदस्थापन अवधि में कमला कन्सट्रक्शन कम्पनी एवं कमला आदित्य कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड को मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बाल्मीकिनगर परियोजनान्तर्गत नेपाल हितकारी योजना के तहत नहर पुनर्स्थापन कार्यों के आवंटन में बरती गई अनियमितता की जाँच विभागीय उड़नदस्ता अंचल, पटना से करायी गयी।

उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 1318 दिनांक 24.10.13 द्वारा श्री कुमार से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण पूछा गया।

1. अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 3376 दिनांक 17.08.2010 के कंडिका–4 के द्वारा Serious Unbalanced Rate के लिए Additional Performance Guarantee की माँग निविदाकार से किये जाने का प्रावधान है। मुख्य अभियंता, बाल्मीकिनगर परिक्षेत्राधीन नेपाल हितकारी योजना 2009 के अन्तर्गत मुख्य पश्चिमी नहर से संबंधित पुनर्स्थापन कार्य हेतु निविदा आमंत्रण सूचना में उक्त तथ्य की अनदेखी की गयी। फलस्वरूप सरकार को भारी राजस्व की क्षति हुई जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं।

श्री कुमार ने अपने पत्रांक 622 दिनांक 12.11.2013 द्वारा विभाग में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें मुख्यतः निम्न बातें कही गयी है।

Serious Unbalanced Rate के लिए Additional Performance Guarantee लिए जाने की सूचना अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 3740 दिनांक 08.09.2010 द्वारा जल संसाधन विभाग एवं अन्य कार्य विभागों को दी गई जबकि निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–01 दिनांक 27.08.10 को ही मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बाल्मीकिनगर द्वारा आमंत्रित की गई थी। चूँकि निविदा आमंत्रण के समय पथ निर्माण विभाग, बिहार द्वारा Additional Performance Guarantee जमा कराने के संबंध में कोई दिशा निर्देश विभागों को नहीं दिया गया था। इसलिए निविदा आमंत्रण सूचना की कंडिका में उपर्युक्त वर्णित शर्त नहीं रखा गया। अतएव किसी भी दृष्टिकोण से उनके द्वारा जान–बूझकर कोई अनियमितता नहीं बरती गई है।

श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गये।

Additional Performance Guarantee लेने से संबंधित पत्र कार्यपालक अभियंता को प्राप्त होने एवं एकरारनामा के बीच लगभग दो माह की अवधि में कार्यपालक अभियंता द्वारा Additional Performance

Guarantee के बारे में उच्चाधिकारियों के संज्ञान में नहीं लाया गया। Additional Performance Guarantee की राशि Serious Unbalanced Rate उद्धृत रहने की स्थिति में कार्यपालक अभियंता द्वारा इस पर कोई कार्रवाई न करने से श्री कुमार को अप्रत्यक्ष रूप से संवेदक को लाभ पहुँचाने का दोषी माना जाता है। क्योंकि विधिवत सूचना के अतिरिक्त भी अन्य माध्यम यथा विभागीय बेवसाईट पर भी उपलब्ध था। अतएव जान–बूझकर इस संबंध में संवेदक को लाभ पहुँचाया गया और Additional Performance Guarantee प्राप्त नहीं की गई जिसके लिए श्री कुमार दोषी हैं।

समीक्षोपरानत प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0 470 दिनांक 18.02.2015 द्वारा श्री कुमार को निम्न दण्ड से संसूचित किया गया।

(1) ''एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।''

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा विभाग में पूणर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया जिसमें मुख्यतः निम्न बातें कह गयी है–

(i) Serious Unbalanced Rate के लिए Additional Performance Guarantee संबंधी पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 3376 दिनांक 17.08.2010 द्वारा प्रेषित पत्र जल संसाधन विभाग को दिनांक 21.09.2010 को प्राप्त हुआ। पता नहीं यह पत्र मुख्य अभियंता को अग्रसारित किया गया अथवा नहीं।

(ii) नेपाल हितकारी योजना 2009 गंडक प्रोजेक्ट के कार्य का निविदा आमंत्रण सूचना सीधे मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बाल्मीकिनगर द्वारा प्रकाशित की गई। तत्पश्चात मुख्य अभियंता द्वारा कार्यों के लिए समेकित एकरारनामा किया गया था।

(iii) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बाल्मीकिनगर द्वारा दिनांक 25.08.10 को अनुमोदित N I T प्रारूप में काफी बाद दिनांक 21.09.2010 को प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग को Serious Unbalanced Rate के लिए Additional Performance Guarantee संबंधी पत्र प्राप्त हुआ था। अतएव एकरारनामा के समय उक्त पत्र की प्रासंगिकता नहीं थी।

(iv) नेपाल हितकारी योजना 2009 गंडक प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मुख्य पश्चिमी नहर प्रमण्डल, वाल्मीकिनगर के पुर्नस्थापन कार्य से जुरे अभियंता के विरूद्ध उक्त आरोप नहीं बनता है।

(v) पथ निर्माण विभाग का पत्रांक 3740 दिनांक 21.09.10 को प्राप्त हुआ है तथा निविदा दिनांक 25.08.10 को आमंत्रित किया गया था।

(vi) उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में भी कहा गया है कि Additional Performance Guarantee लेने का मामला नहीं बनता।

(vii) पथ निर्माण विभाग का पत्रांक 3376(E) दिनांक 17.08.10 द्वारा Serious Unbalanced Rate के लिए Additional Performance Guarantee संबंधी पत्र मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बाल्मीकिनगर को निविदा आमंत्रण के समय तक प्राप्त नहीं हुआ था। फलतः इसकी शर्त्त N I T में समावेश नहीं था।

श्री कुमार से प्राप्त जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गये।

श्री दिलीप कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता का कथन कि नेपाल हितकारी योजना 2009 गंडक प्रोजेक्ट के कार्य का निविदा आमंत्रण मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बाल्मीकिनगर द्वारा दिनांक 25.08.10 को आमंत्रित किया गया है तथा कार्य का एकरारनामा भी मुख्य अभियंता द्वारा किया गया है, को अभिलेख के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 3376(E) दिनांक 17.08.10 जिसमें Serious Unbalanced Rate के लिए Additional Performance Guarantee लेने की चर्चा है, की प्रति पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 3740(E) दिनांक 08.09.10 द्वारा जल संसाधन विभाग को दिनांक 21.09.10 को तथा मुख्य अभियंता, बाल्मीकिनगर को दिनांक 15.10.10 को प्राप्त हुआ है। अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विषयांकित कार्य का तकनीकी बीड का निष्पादन दिनांक 03.01.11 को किया गया है। चूँकि निविदित दर अनुसूचित दर से 15 प्रतिशत कम रहने के कारण Additional Performance Guarantee का मामला बना है। मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 27.01.11 को कार्यावंटन पत्र निर्गत किया गया है तथा मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 05.02.11 को एकरारनामा किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि Additional Performance Guarantee लेने से संबंधित पत्र दिनांक 15.10.10 को मुख्य अभियंता के प्राप्ति के पश्चात लगभग चार माह के बाद कार्य का एकरारनामा किया गया, फिर भी कार्यपालक अभियंता श्री दिलीप कुमार द्वारा कहा जाना कि इस तथ्य की जानकारी उन्हें नहीं थी, को स्वीकार योग्य नहीं माना गया है। किसी भी पत्र की विधिवत सूचना के अतिरिक्त भी अन्य माध्यम यथा विभागीय बेवसाईट आदि से प्राप्त करना पदाधिकारी का दायित्व है जबकि उक्त पत्र बेवसाईट पर भी उपलब्ध था। S B D के प्रावधान में यह भी उल्लेखनीय है कि Statuary Order प्रभावी माने जायेंगे। यदि निविदा आमंत्रण सूचना में इसका उल्लेख नहीं था तो भी एकरारनामा करने के समय या कार्यों के कार्यान्वयन के समय भी संवेदक से प्राप्त किया जा सकता है परन्तु श्री कुमार के द्वारा न तो संवेदक से Additional Performance Guarantee की माँग की गयी और न ही एक बार भी इस तथ्य को उच्च पदाधिकारी के संज्ञान में लाया गया।

श्री कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा Additional Performance Guarantee प्राप्त नहीं करने के संदर्भ में पूर्व के स्पष्टीकरण से भिन्न कोई और तथ्य नहीं दिया गया है। अतएव सरकार द्वारा श्री कुमार के पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकार करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0 470 दिनांक 18.02.15 द्वारा संसूचित दण्ड को यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय श्री दिलीप कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति निलंबित, अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, पश्चिमी कोशी नहर अंचल, मधुबनी, बिहार को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1104-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in